न्यायालय तहसीलदार, चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी ::: बृजेश कुमार (R.T.S.)

मिसल नं. ::: 02/2016

सरकार बनाम संजीव कुमार पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी गोठडी

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 07.04.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि ग्रामवासी गोठडी प्रहलाद वगैरह द्वारा प्रचलित कटानी रास्ते को गैर सायल द्वारा अवरूद्ध किये जाने बाबत शिकायत दिनांक 22.12.2016 को प्रस्तुत किये जाने पर पटवारी हल्का को मौका जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। जिसके क्रम में पटवारी हल्का लाम्बा गोठड़ा द्वारा गैर सायल संजीव कुमार पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी गोठडी के विरूद्ध ग्राम गोठडी की भूमि ख.नं. 209 कुल रकबा 0.28 हैक्टे. किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.02 हैक्टे पर सरसो काश्त करने की रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। बाद सम्यक तामिल गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल ने लिखित जबाब पेश किया कि गैर सायल द्वारा कोई रास्ता नही रोका गया है जो रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटान में दर्ज है उसी के समानान्तर रास्ता मेरे ही खेत से गुजर रहा है जो कटानशुदा रास्ते से लगभग 100 फीट की दूरी पर ही है यह रास्ता लोगो ने अपनी सुविधा के लिए कर लिया था जिसमें अभी भी बिना कोई बाधा के आवागमन हो रहा है एवं रास्ता चालू है तथा यदि माननीय न्यायालय चाहता है कि आवागमन कटान के रास्ते की जगह से ही हो तो मैं राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते की जगह पर ही रास्ता देने को तैयार हूँ तथा इसमें मुझे कोई आपत्ति नही है मैं शीघ्र ही उस रास्ते को कटान के रास्ते में मिला दूंगा तथा भविष्य में कभी भी कटान के रास्ते को अवरूध नही करूगा। अतः मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की जावे। गैर सायल ने अपने जबाब के समर्थन में दिनांक 26.12.2016 को ग्राम के मुख्य व्यक्तियो के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विषयक रास्ता बन्द करने की झूठी शिकायत करने बाबत हेतु का भी उल्लेख किया।

निर्णय हेतु पत्रावली में रिपोर्ट पटवारी, जबाब गैर सायल व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड अनुसार ख.नं. 209 कुल रकबा 0.28 हैक्टे. किस्म गै.मु. रास्ता जो राजस्व नक्शा में दर्ज अनुरूप मौके पर बन्द है परन्तु गैर सायल का कथन भी सत्य है कि गैर सायल ने अपने ही खेत में इस कटानशुदा रास्ते की एवज में लगभग 100 फीट दूरी पर ही समानान्तर अन्य रास्ता छोड रखा है जो

34

तहसीलदार चिड़ावा
जिला-झुन्झुनूं

---लगातार

पिछले कुछ वर्षो से चालू है एवं वर्तमान में भी चालू है अतः आवागमन की कोई समस्या नही है। परन्तु चूंकि गैर सायल ने राजकीय खाते में दर्ज गै.मु.रास्ता भूमि ख.नं. 209 में 0.02 हैक्टे. भूमि पर राजस्व रिकार्ड नक्शा अनुसार अतिक्रमण सिद्ध है चूंकि पत्रावली राजकीय भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित है अतः चाहे गैर सायल ने उक्त रास्ते के बदले अपने खेत में से अन्य रास्ता चालू कर रखा हो तो भी विचारणीय न्यायालय गैर सायल को कोई अनुतोष दिये जाने की स्थिति में नही है। गैर सायल चाहे तो सक्षम न्यायालय में नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र/वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में गैर सायल अतिक्रमी सिद्ध होता है अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए गैर सायल को उक्त विवादित रकबे पर अतिचारी घोषित किया जाता है एवं बेदखली आदेश दिया जाता है तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 1 रू. पैनेल्टी आरोपित की जाती हैं। भू.अ.निरीक्षक द्वारा कुर्क शुदा फसल को नीलाम कर राशि राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है।

तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करवाई जावें। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बृजेश कुमार
तहसीलदार चिड़ावा
तहसीलदार चिड़ावा
जिला–झुन्झुनूं